



श्रीविन्दु बनाम V/S रामकुमार कौर

अधिकारी विराटनगर, जयपुर (रज.)

1674/2013 प्राण्य अवमानना

आज्ञा विस्तृत रूप से विशेष विवरण

विशेष वि

22/05/18

Handwritten vertical text on the left margin.

प्रार्थना पत्र बाबत अवमानना, राजस्व न्याय आपके द्वार अभिमान दौरान ग्राम पंचायत बाजावाख अहीरान के पेश हुआ, हस्तगत प्रकरण दिनांक 12.02.2013 को दर्ज हुआ है जो वर्ष 2014 से साक्ष्य साफल में निपट चल रहा है, ब्या-ब्यार अवसर दिए जाने उपरान्त भी साक्ष्य पूर्ण नहीं करवाये गये, अतः साक्ष्य साफल बन्द दिष्टे जाते हैं, उपस्थित गैर साफल ने साक्ष्य गैर साफल पेश नहीं कर, प्रकरण के निस्तारण का निवेदन किया गया। उपस्थित पक्षकारण की बहस सुनी गयी, प्रकरण में साफल का निवेदन बहा कि गैर साफल को न्यायालय द्वारा लेख नं. 231, 232, 235, 426, 469 के संबंध में गैर अंतरिम आदेशों निषेधाज्ञा के पावतं दिया हुआ है, फिर भी गैर साफल ने गैर शेट लगाने की कोशिश कर आदेश की अवहेलना की है।

गैर साफल का तर्क रहा कि तयकचित गैर शेट का निर्माण गैर साफल ने पूर्ण ले ही कर रखा था, किसी भी प्रकार न्यायालय आदेश की अवहेलना नहीं की है।

अतः बहस उपरान्त विधि के सुखंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

Handwritten signature and date on the right margin.

Handwritten signature and official stamp at the bottom right.

Vertical text on the left edge of the page, including 'अधिकारी (जयपुर)' and other markings.

Vertical text on the right edge of the page, possibly a file number or date.

16/14

1674/2013

ग्रामपत्र सभमानना

आज्ञा विस्तृत रूप से

क आज्ञा या
अर्थवाही

क आज्ञा या
अर्थवाही

05/18

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक
 का प्रविष्टता क्रिया गपा तथा प्रार्थना पत्र
 आवत अमानना इस कदर निर्धारित
 क्रिया जाता है कि जैरहायल न्यायालय
 आदेश की पालना करेगा तथा निर्णय
 की अवहेलना की स्थिति में प्रार्थी
 भविष्य में प्रथक से अमानना दावा
 करके हेतु खतब रहेगा। हस्तगत प्रार्थना
 पत्र खारिज किया जाकर फौजदारी शुका
 दालिल फलर रहे।

निर्णय मजतान-आफ अंज डिनोड 21/05/18
 को कैंप कोर कागाकाड डहीराड के
 खुलापा गपा।

(Handwritten signature)
 पत्रावली अधिकारी
 (अधीनस्थ-कोष-आफ)
 8107-2013-2014-18-3
 (अधीनस्थ-कोष-आफ)
 मुकाम-जयपुर